उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग–4
संख्या– 15/29/99– का–4– 2002
लखनऊः दिनॉक जुलाई 04 ,2002

कार्यालय ज्ञाप

कार्यालय ज्ञाप संख्या–15/49/81–का–1, दिनॉक 25 सितम्बर,1984 के द्वारा यह निर्देश निर्गत किये गये थे, कि लोक सेवा आयोग,उत्तर प्रदेश, के सरकारी/गैर सरकारी अध्यक्ष/सदस्यगण को उदारीकृत पेंशन का लाभ अनुमन्य कराते हुए, पेंशन के संबंध में तद्समय तक निर्गत विनियमावलियों के प्राविधानों के अन्तर्गत उक्त विनियमावलियों के प्रख्यापन की तिथियों से पूर्व सेवानिवृत्त हुये, अध्यक्ष/सदस्यगण को उक्त विनियमावलियों के प्राविधानानुसार पेंशन का लाभ अनुमन्य किया जाय ।

2. लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 के सरकारी/गैर सरकारी अध्यक्ष/सदस्यगण की पेंशन पुनरीक्षण के संबंध में उक्त कार्यालय ज्ञाप के निर्गत होने के उपरान्त निम्न विनियमावलियॉ प्रख्यापित की गयी हैं:–

(1) अधिसूचना संख्या–15/3/82–का–3/87,दिनॉक 28–12–1987 के द्वारा प्रख्यापित "उ0प्र0 पब्लिक सर्विस कमीशन (कन्डीशन्स आफ सर्विस)(अट्ठारहवॉ संशोधन) विनियमावली,1987 ।

(2) अधिसूचना संख्या–2233–आ/47–का–4–1994–15/3/82,दिनॉक 30–5–1994 के द्वारा प्रख्यापित "उ0प्र0पब्लिक सर्विस कमीशन (कन्डीशन्स आफ सर्विस)(इक्कीसवॉ संशोधन) विनियमावली,1994 ।

(3) अधिसूचना संख्या–15/36/98–का–4–1999,दिनॉक 21–9–1999 के द्वारा प्रख्यापित "उ0प्र0 पब्लिक सर्विस कमीशन (कन्डीशन्स आफ सर्विस)(चौबीसवॉ संशोधन) विनियमावली,1999 ।

3. उपर्युक्त के संबंध में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है, कि उपर्युक्त संदर्भित विनियमावली/विनियमावलियों के प्रभावी होने की तिथि को लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 के ऐसे सरकारी/गैर सरकारी अध्यक्ष/सदस्यगण, जो जीवित थे, किन्तु उक्त विनियमावली /विनियमावलियों के प्रख्यापन से पूर्व सेवानिवृत्त हो गये थे, को भी उक्त विनियमावली /विनियमावलियों के अनुसार पुनरीक्षित पेंशन का लाभ अनुमन्य होगा ।

4. अधोहस्ताक्षरी को यह भी कहने का निदेश हुआ है, कि शासनादेश संख्या–725/का–3–89–15/68/1985, दिनॉक 31 जुलाई, 1989 के प्राविधानानुसार, अध्यक्ष/सदस्यगण को आयोग से मिलने वाली पेंशन पर राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों को अनुमन्य दर पर मंहगाई राहत देय होगी ।

(राजेन्द्र भ्रामवाल)
प्रमुख सचिव ।

संख्या–15/29/99(1)–का–4–2002, तद्दिनॉक ।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार(प्रथम/द्वितीय)उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2. वरिष्ठ लेखाधिकारी, लेखा एवं हकदारी,उ0प्र0, इलाहाबाद ।
3. निदेशक,वित्त सांख्यिकी,उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
4. निदेशक,पेंशन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ ।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग,उ0प्र0, इलाहाबाद ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–5
7. वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

आज्ञा से,

(भुइयॉदीन)
विशेष सचिव ।